

प्रेषक,
राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०२-मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मीरजापुर के 70 ग्राम पंचायतों में पेयजल समस्या के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचक निधि से धनाबंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-485/तेरह-दैवी आपदा (मु०रा०ले०) दिनांक 16.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मीरजापुर के 70 ग्राम पंचायतों में उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या हेतु रु० 896.08 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद मीरजापुर के 70 ग्राम पंचायतों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल की व्यवस्था हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रु० 448.04 लाख (रुपये चार करोड़ अड़तालिस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, मीरजापुर के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रस्तावित कार्य पर अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011 दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे सम्बन्धित के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर पूर्ण औचित्य/कारण दर्शाते हुए धनराशि की मांग की जा सकती है।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) उक्त आवंटित धनराशि का 80 प्रतिशत उपभोग किय जाने के उपरान्त उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि आवंटित की जायेगी।

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु0 448.04 लाख (रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख चार हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-01- सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

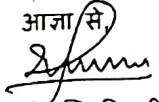
(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या-663(1)/एक-10-2024-33(47)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

- का
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
 - 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
 - 5- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
 - 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0।
 - 8- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
 - 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
 - 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव

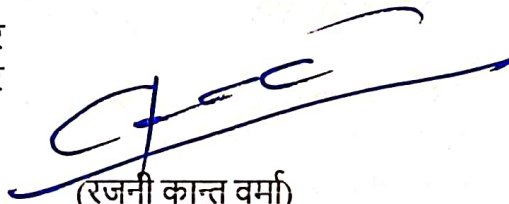
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-10/05/2024

प्रेषण संख्या:- 663
आवंटन आदेश संख्या:- 001-663
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
01 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	44804000 44804000	44804000 44804000
	योग	वर्तमान प्रगामी	44804000 44804000	44804000 44804000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ अड़तालीस लाख चार हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ अड़तालीस लाख चार हजार


(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन